



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी-केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2021 / 221

दर्ज तिथि:-14.09.2021

1. प्रमिला पत्नी घमण्डाराम
जाति जाट निवासी कोसरिया हाल निवासी हीरानगर पटवार मण्डल नोखड़ा जिला
बाड़मेर

.....वादी

बनाम

1. किस्तुराराम पुत्र मगाराम
कौम जाट निवासी हीरानगर पटवार मण्डल नोखड़ा तहसील गुडामालानी
.....असल प्रतिवादीगण
2. तहसीलदार गुडामालानी हाल नोखड़ा
3. शाखा प्रबंधक बीसीसीबी नोखड़ा

.....तकमिली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:-श्री चिमनसिंह चौधरी

प्रतिवादीगण:-एकतरफा

वादपत्र अन्तर्गत धारा-183, 188

राजस्थान काश्त0 अधि0-1955

:-निर्णय:-

1. आज यह पत्रावली राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-183, 188 के अन्तर्गत एक राजस्व वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 678/13/4.8562 है0 मौजा हीरानगर तहसील गुडामालानी हाल तहसील नोखड़ा में अवस्थित हैं। वादी की उक्त खातेदारी भूमि पर रहवास बनी हुई है तथा चारो तरफ पुरानी माठ बनी हुई है। वादी की उक्त खातेदारी आराजी के सेढे पर प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 670/4 मौजा हीरानगर तहसील नोखड़ा अवस्थित हैं। अपनी खातेदारी आराजी की नेखमबंदी हेतु वादीगण द्वारा दायर नेखमबंदी आवेदन संख्या 322/14 एवं 323/14 बउनवान प्रमिला बनाम लाखाराम में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी द्वारा निर्णय दिनांक 03.06.2015 द्वारा स्वीकार किया जाकर



उक्त नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार गुड़ामालानी के आदेश की पालना में भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त गोलिया जेतमाल तथा हल्का पटवारी मंगले की बेरी ने दिनांक 13.06.2020 को मौका निरीक्षण एवं मौका जमीन नापकर व सीमाज्ञान कर फर्द मौका, नक्शा तैयार किया। जिसमें वादीगण के खसरा संख्या 678/13/4.8562 है0 मौजा हीरानगर तहसील गुड़ामालानी हाल तहसील नोखड़ा द्वारा वादीगण की आराजी के चारों ओर पक्के नेखम स्थापित किये गये। उक्त नेखमबंदी की पालना में वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण के सेढे की ओर नेखमबंदी के पत्थर संख्या बी एवं सी स्थापित किये गये थे। परंतु प्रतिवादीगण अपने सेढे की ओर स्थापित नेखमबंदी के पत्थर संख्या बी एवं सी को उखाड़कर वादीगण की आराजी में अनाधिकृत प्रवेश करने पर आमादा हुए। जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण को कब्जा हटाने हेतु कहा गया। परंतु प्रतिवादीगण ने कब्जा हटाने से मना कर दिया। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी भूमि की जबरन कब्जा किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी भूमि पर अपना अनाधिकृत कब्जा कर वादी के कब्जा काश्त की भूमि को अपनी भूमि बताकर अवैध कब्जा किया गया है तथा वादी की खातेदारी भूमि पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है। यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा मौका फर्द दिनांक 13.06.2020 में दर्शायी स्थिति के विपरीत अवैध एवं अनाधिकृत कब्जा को अवैध कब्जा करार देते हुए प्रतिवादीगण को वादीगण की उक्त अवैध कब्जेशुदा आराजी से बेदखल करते हुए वादी को कब्जा दिलवाकर वादी की खातेदारी आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। अंत में वादीगण ने वादीगण की खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध बेदखली व कब्जा सुपुर्दगी के साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

2. दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात् पत्रावली वादीगण साक्ष्य में रखी गई।

3. वादी द्वारा प्रकरण में निम्न दस्तावेजी साक्ष्य व प्रदर्श प्रस्तुत किए गए:-

प्रदर्श	दस्तावेज	दिनांक / सम्वत
1.	खाता संख्या 20 जमाबंदी वाके ग्राम हीरानगर तहसील गुड़ामालानी हाल नोखड़ा	अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2074-77 जमाबंदी सम्वत 2078 (वर्ष 2021)
2.	राजस्व नक्शा खसरा संख्या 678/13 मौजा हीरानगर	वर्तमान नक्शा
3.	खाता संख्या 04 जमाबंदी वाके ग्राम हीरानगर तहसील गुड़ामालानी हाल नोखड़ा	अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2074-77 जमाबंदी सम्वत 2078 (वर्ष 2021)
4.	राजस्व नक्शा खसरा संख्या 670/4 मौजा हीरानगर	वर्तमान नक्शा

5.	नेखमबंदी आदेश	दिनांक 03.06.2015
6.	मौका फर्द	दिनांक 13.06.2020
7.	नेखमबंदी पालना नक्शा	—

4. प्रकरण में वादीगण द्वारा निम्न गवाह साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिनकी चीफ करवाकर बयान लेखबद्ध किए जाकर शामिल पत्रावली किए गए:-

क्र.स.	नाम मय वल्दीयत	निवासी
पी.डब्ल्यू-1	प्रमिला पुत्री लाखाराम जाति जाट	हीरानगर तहसील गुड़ामालानी हाल नोखड़ा

5. प्रकरण में वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा मौका फर्द दिनांक 13.06.2020 में दर्शायी स्थिति के विपरीत अवैध एवं अनाधिकृत कब्जा को अवैध कब्जा करार देते हुए प्रतिवादीगण को वादीगण की उक्त अवैध कब्जेशुदा आराजी से बेदखल करते हुए वादी को कब्जा दिलवाकर वादी की खातेदारी आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। अंत में वादीगण ने वादीगण की खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध बेदखली व कब्जा सुपुर्दगी के साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री किया जावे।
6. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में वादीगण की प्रथम इश्तहुआ वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण के कब्जा को हटवाने हेतु प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा सुपुर्द करने से संबंधित है। प्रकरण में सर्वप्रथम उक्त इश्तहुआ के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-183 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार है:-

183. Ejectment of certain trespasser—

(1) Notwithstanding anything to the contrary in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession of any land without lawful authority shall be liable to ejectment, subject to the provision contained in sub-section (2), on the suit of the person or persons entitled to eject him and shall be further liable to pay as penalty for each agricultural year during the whole or any part whereof he has been in such possession, a sum which may extend to fifteen times the annual rent.

(2) In case of land which is held directly from the State Government or to which the State Government, acting through the Tehsildar, is entitled to admit the trespasser as tenant, the Tehsildar shall proceed in accordance with the provisions of section 91 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956).

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-183 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा-183 के अन्तर्गत किसी अतिक्रमी के किसी भूमि पर अवैध कब्जा

होने/करने/कब्जा जारी रखने की स्थिति में उक्त अतिक्रमी उक्त भूमि से बेदखल किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

7. प्रकरण में वादीगण द्वारा अपने दावे को पुष्ट करने हेतु प्रदर्श संख्या-01 प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 678/13/4.8562 है0 मौजा हीरानगर तहसील गुड़ामालानी हाल तहसील नोखड़ा में अवस्थित हैं। प्रदर्श संख्या-02 एवं 04 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी के पड़ोस में प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 670/4 मौजा हीरानगर अवस्थित हैं। प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा निर्णित राजस्व वाद संख्या 322/14 एवं 323/14 बउनवान प्रमिला बनाम लाखाराम की पालना में वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की नेखमबंदी करवाई। उक्त नेखमबंदी के दौरान वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जे के संबंध में मौका रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
8. प्रकरण में वादीगण अनुसार उक्त नेखमबंदी के दौरान वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जा स्पष्ट हुआ। वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जा को हटाने हेतु निवेदन किया। परंतु प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा नहीं हटाया। इस कारण वादीगण को द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जा को हटवाने हेतु बेदखली व प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है।
9. प्रकरण में साक्ष्य गवाह के बयानों का अवलोकन किया गया। पी. डब्ल्यू.-1 तगीदेवी पत्नी भैराराम जाति रबारी निवासी बांटा ने शपथपूर्वक कथन किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की आराजी खसरा संख्या 678/13/4.8562 है0 मौजा हीरानगर तहसील गुड़ामालानी हाल तहसील नोखड़ा के कुछ हिस्से पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर रखा है।
10. प्रकरण में प्रदर्श संख्या-01-02 एवं 03-04 से स्पष्ट है कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 678/13/4.8562 है0 मौजा हीरानगर तहसील गुड़ामालानी हाल तहसील नोखड़ा तथा प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 670/4 मौजा हीरानगर आपस में सेड़े-सेढ़ अवस्थित है। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन तथा साक्ष्य गवाह के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 678/13/4.8562 है0 मौजा हीरानगर तहसील गुड़ामालानी हाल तहसील नोखड़ा के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 678/13/4.8562 है0 मौजा हीरानगर तहसील गुड़ामालानी हाल तहसील नोखड़ा के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में राजस्व कार्मिकों द्वारा नेखमबंदी की जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी की सीमाओं का चिन्हीकरण किया गया है। उक्त नेखमबंदी दिनांक 13.06.2020 के विरुद्ध प्रतिवादीगण द्वारा कोई चुनौती नहीं की गई। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण को नेखमबंदी दिनांक 13.06.2020 स्वीकार है। तहसीलदार गुड़ामालानी के नेखमबंदी

मौका रिपोर्ट दिनांक 13.06.2020 तथा नेखमबंदी मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण की आराजी की नेखमबंदी की गई। उक्त नेखमबंदी की मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 13.06.2020 में खसरा संख्या 678/13/4.8562 है। मौजा हीरानगर तहसील गुड़ामालानी हाल तहसील नोखड़ा पर किसी भी अन्य खातेदार का कब्जा किया जाना उल्लेखित नहीं है। प्रकरण में वादीगण का कथन है कि नेखमबंदी के उपरांत प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की आराजी में अवैध एवं अनाधिकृत प्रवेश हेतु नेखमबंदी द्वारा स्थापित बिन्दु संख्या सी एवं बी को उखाड़ने पर आमादा होकर वादीगण की खातेदारी आराजी में अवैध रूप से प्रवेश करने पर उतारू हुए। तत्पश्चात् प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/1875 दिनांक 20.12.2024 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। जिसका उद्धरण इस प्रकार है:-

- कि खसरा संख्या 678/13 व खसरा संख्या 670/4 का तितम्मा राजस्व नक्शे में रकबा बरारी अनुसार सही अंकित किया गया है।
- कि खसरा संख्या 678/13 में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण/निर्माण नहीं किया गया है।
- कि खसरा संख्या 678/13 की नेखमबंदी रिपोर्ट में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण/निर्माण चिन्हित नहीं किया गया।

11. प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन, साक्ष्य गवाह तथा तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/1875 दिनांक 20.12.2024 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण के कब्जे के संबंध में मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 678/13/4.8562 है। मौजा हीरानगर तहसील गुड़ामालानी हाल तहसील नोखड़ा के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में केवल पी0डब्ल्यू0-01 के मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण का आंशिक अवैध कब्जा करार देने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है।
12. इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-5 (44) के अन्तर्गत अतिक्रमी को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:-

(44) "Trespasser" shall mean a person who takes or retains possession of and without authority or who prevents another person from occupying land duly let out to him;

7. इस प्रकार उक्त विश्लेषण के अनुसार वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 678/13/4.8562 है। मौजा हीरानगर तहसील गुड़ामालानी हाल तहसील नोखड़ा की न्यायालय आदेश के द्वारा नेखमबंदी के पश्चात् स्थापित स्थाई नेखम में प्रतिवादीगण का कोई कब्जा स्पष्ट नहीं हुआ। तत्पश्चात् वादीगण द्वारा अपनी आराजी की नेखमबंदी के उपरांत प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की आराजी में अवैध एवं अनाधिकृत प्रवेश हेतु नेखमबंदी द्वारा स्थापित बिन्दु संख्या सी एवं बी को उखाड़ने पर आमादा होकर

वादीगण की खातेदारी आराजी में अवैध रूप से प्रवेश करने के कथन पर तलब की गई तहसीलदार नोखड़ा की रिपोर्ट पत्रांक/भूअ./2024/1875 दिनांक 20.12.2024 में भी वादीगण की उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का अवैध या अनाधिकृत कब्जा स्पष्ट नहीं हुआ है। उक्त विवेचन के आधार पर किसी पृथक खातेदार के विरुद्ध एवं न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट में प्रतिवादी का कब्जा स्पष्ट नहीं होने के आधार पर प्रतिवादीगण को अतिक्रमी माना जाने से न्यायालय सहमत नहीं है। इस प्रकार प्रथम इशतद्दुआ वादीगण के पक्ष में अस्वीकार की जाती है।

8. प्रकरण में द्वितीय इशतद्दुआ वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। द्वितीय इशतद्दुआ को सिद्ध करने का भार वादीगण के जिम्मे है। प्रकरण में इस तनकी के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार है:-

188. Injunction against wrongful ejection—

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-

(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;

(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;

(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.

(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

13. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा-188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई है:-

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।

4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।
----	---

14. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। वादी का यह कथन है कि उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान किया जाता है या उस पर निर्माण किया जाता है तो वादीगण को स्पष्ट रूप से नापूर्ति होने वाली क्षति संभावित है। वादीगण का उक्त कथन स्वतः साबित है क्योंकि प्रतिवादी का मुताबिक रिकॉर्ड उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं है।

15. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैं:-

परिस्थिति	विवरण	विश्लेषण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 678/13/4.8562 है0 मौजा हीरानगर तहसील गुड़ामालानी हाल तहसील नोखड़ा पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति को आंकलित करना संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 678/13/4.8562 है0 मौजा हीरानगर तहसील गुड़ामालानी हाल तहसील नोखड़ा पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
1.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 678/13/4.8562 है0 मौजा हीरानगर तहसील गुड़ामालानी हाल तहसील नोखड़ा पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक मुआवजा दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।
2.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने	

	वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।	अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 678/13/4.8562 है0 मौजा हीरानगर तहसील गुड़ामालानी हाल तहसील नोखड़ा पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
3.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।	<p>1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 678/13/4.8562 है0 मौजा हीरानगर तहसील गुड़ामालानी हाल तहसील नोखड़ा पर वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से रोकने का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाया गया है।</p> <p>2. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 678/13/4.8562 है0 मौजा हीरानगर तहसील गुड़ामालानी हाल तहसील नोखड़ा पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में बेदखली के अनेक वाद न्यायालय में दायर होते रहेंगे।</p> <p>3. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 678/13/4.8562 है0 मौजा हीरानगर तहसील गुड़ामालानी हाल तहसील नोखड़ा पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में मुआवजे के वाद न्यायालय में दायर होते रहेंगे।</p> <p>4. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 678/13/4.8562 है0 मौजा हीरानगर तहसील गुड़ामालानी हाल तहसील नोखड़ा पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में उभयपक्षकारों के मध्य फौजदारी के प्रकरण सामने आ सकते हैं। अतः विवादों की बहुलता उत्पन्न होने की प्रबल संभावना प्रतीत होती है।</p>

16. इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु चार परिस्थितियां भी वादी की खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोकने हेतु आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न होना इंगित करती है। इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः प्रकरण में द्वितीय अनुतोष को साबित करने में

वादीगण सफल रहे हैं। इस प्रकार द्वितीय अनुतोष वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाता है। अतः

आदेश है कि

वादी का वादपत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 678/13/4.8562 है0 मौजा हीरानगर तहसील गुड़ामालानी हाल तहसील नोखड़ा पर विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन पश्चात प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात् फसल बोने-जोतने, काटने, लाने-ले जाने में रुकावट मजाहमत नहीं करने के साथ ही वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर वादीगण को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर डिक्री किया जाता है।

उक्त निर्णयानुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 29.09.2025 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुड़ामालानी-बाड़मेर



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी-केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2021 / 221

दर्ज तिथि:-14.09.2021

1. प्रमिला पत्नी घमण्डाराम
जाति जाट निवासी कोसरिया हाल निवासी हीरानगर पटवार मण्डल नोखड़ा जिला
बाड़मेर

.....वादी

बनाम

1. किस्तुराराम पुत्र मगाराम
कौम जाट निवासी हीरानगर पटवार मण्डल नोखड़ा तहसील गुडामालानी
.....असल प्रतिवादीगण
2. तहसीलदार गुडामालानी हाल नोखड़ा
3. शाखा प्रबंधक बीसीसीबी नोखड़ा

.....तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:-श्री चिमनसिंह चौधरी

प्रतिवादीगण:-एकतरफा

वादपत्र अन्तर्गत धारा-183, 188

राजजस्थान काश्त0 अधि0-1955

—:पर्चा डिक्री:-

वादी का वादपत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 678/13/4.8562 है0 मौजा हीरानगर तहसील गुडामालानी हाल तहसील नोखड़ा पर विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन पश्चात प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात् फसल बोने-जोतने, काटने, लाने-ले जाने में रुकावट मजाहमत नहीं करने के साथ ही

वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर वादीगण को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर डिक्री किया जाता है।

यह डिक्री आज दिनांक 29.09.2025 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गयी एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी की गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर

गुढामालानी-बाड़मेर

